न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन०डी०पी०एस० एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश

कक्ष सं०–1, सिद्धार्थनगर।

उपस्थित– मोहम्मद रफी (एच०जे०एस०)

UPSD010042302021

<u>Sessions Case/1192/2021</u>

सरकार-----------------------------------अभियोजक

बनाम

पवन कुमार गुप्ता पुत्र गोरखनाथ भीमापार थाना–सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।

---अभियुक्त

मु०अ०सं०---244/2021

धारा–8/20 NDPS Act

थाना– बांसी

जनपद– सिद्धार्थनगर ।

UPSD010042312021

<u>Sessions Case/1193/2021</u>

सरकार-----------------------------------अभियोजक

बनाम

विजय प्रताप लोध पुत्र सन्तराम भीमापार, थाना–सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।

---अभियुक्त

Digitally signed by MOHAMMAD RAFI
Date: 2026.07.09 16:12:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मु०अ०सं०———243/2021
धारा—8/20 NDPS Act
थाना— बांसी
जनपद— सिद्धार्थनगर ।

निर्णय

1. अभियुक्तगण पवन कुमार गुप्ता व विजय प्रताप लोध के विरूद्ध थाना बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा प्रेषित आरोप—पत्र अंतर्गत धारा—8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्तगण का विचारण किया गया। **सत्र वाद संख्या—1192/2021 सरकार बनाम पवन कुमार गुप्ता एवं सत्र वाद संख्या—1193/2021 सरकार बनाम विजय प्रताप लोध एक ही फर्द से संबंधित है। इसलिए इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।**

2. अभियोजन कथानक के अनुसार "दिनांक—06.10.2021 को उ०नि० शशांक कुमार सिंह मय हमराह का० गणेश सिंह का० अखिलेश यादव के देखभाल क्षेत्र शान्ति व्यवस्था व विधि व्यवस्था मद्देनजर त्यौहार नवरात्रि व दशहरा कस्बा क्षेत्र बांसी रोडवेज चौराहा पर मामूर था कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली की दो व्यक्ति नौगढ़ से बांसी के तरफ आ रहे है तथा पुराने राप्तीपुल के रास्ते करबा के तरफ जायेगे जो हाथ में झोला लिए हुये है जिसमें नाजायज गांजा है। इस सूचना पर विश्वास कर मय उ०नि० हमराह कर्म०गण मय मुखबीर के बताये हुये स्थान पुरानी राप्ति पुल के उपरी छोर पर पहुंचकर स्वयं पुल के पूर्व के तरफ तथा हमराह कर्मचारीगण पुल के पश्चिम तरफ पुल का आड़ लेकर अपने को छुपाते हुए आने वाले व्यकियों का इन्तजार कर रहे थे की मुखबीर द्वारा सामने सड़क से उतर कर आ रहे दोनो व्यक्तियों की पहचानवा कर हट बढ़ गया की हम पुलिस वाले सामने से आ रहे दोनों व्यक्तियो को पुल के उत्तरी छोर पर जैसे ही पहुंचे की एका एक हमराही कर्मचारीगण की मदद से मौके पर ही बिना भागने का अवसर देते हुए घेर घार कर पकड़ लिया गया। पकडे गये व्यक्तियों का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो सकपकाते व डरते हुए एक ने अपना नाम विजय प्रताप लोध पुत्र सन्तराम निवासी ग्राम—भीमापार थाना को० सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर बताया तथा बाये हाथ में लिये हुए झोले के बारे में पूछा गया तो बताया की साहब इसमें गांजा है। जिसे हम लोग बाहर से खरीद कर लाते है तथा घूम घूम कर बेचते है तथा दूसरे ने अपना नाम पवन कुमार गुप्ता पुत्र गोरखनाथ निवासी—भीमापार थाना को० सिद्धार्थनगर जनपद विद्धार्थनगर बताया तथा दाहिने हाथ में

लिए हुए झोले के बारे में पूछा गया तो सहमते हुए बताया कि साहब इसमे गांजा है जिसे हमलोग बाहर से खरीद कर लाते है और बेचते है। पकड़े गये व्यक्तियो द्वारा स्वयं के पास गांजा होने की बात बतायी जा रही है जिस पर मुझ उ०नि० द्वारा धारा 50 N.D.P.S ACT के प्रावधानो से अवगत कराते हुये बताया गया की आप दोनो लोगों के पास नाजायज गांजा है जिसकी नियमानुसार तलाशी के लिए मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष जाना होगा या फिर कहे तो यही मौके पर बुला लिया जाय जिस पर पकडे गये व्यक्तियों द्वारा बताया गया की साहब जब हम लोगों के द्वारा आपको सही सही बता दिया गया है कि हम लोगो के पास गांजा है तो आप ही हम लोगो की तलाशी ले ले हम लोगो को आप पर पूरा विश्वास है। इस पर दोनो व्यक्तियों का अलग अलग सहमति पत्र तैयार कर दोनो के हस्ताक्षर बनवाने के उपरान्त नियमानुसार झोलो की तलाशी ली गयी तो विजय प्रताप लोध के पास से मिले झोले को खोल कर देखा गया तो कथई रंग के झोले में काली पालिथीन में बांध कर रखा हुआ नाजायज गांजा बरामद हुआ जिसे खोलकर देखा गया तो छिपडदार भुरे कलर का गांजा मिला जिसे सूधा गया तो गांजे की गंध आ रही है। तथा जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुए पैन्ट के दाहिनी जेब से 120 रु0 नगद तथा एक अदद मोबाइल सैमसंग की पैड बरामद हुआ पन्नी को उसी झोले में रख कर बांधा गया। तथा दूसरे व्यक्ति पवन कुमार के पास से मिले झोले को खोलकर देखा गया। तो हल्का पीला पारदर्शी पालीथीन में रखा गांजा मिला जिसे सूघने पर गांजे की गंध आ रही है। जो भूरे रंग का तथा चिपटदार है को उसी पारदर्शी पालिथीन में रख कर झोले में रखा गया उस सफेद झोले पर अंग्रेजी में JQR SPORT लिखा गया है। जामा तलाशी से पहने हुए पैन्ट के दाहिने जेब से 200 रू० नकद तथा एक अदद रेडमी एन्ड्रायज फोन बरामद हुआ बरामद हुए गांजे की तौल के लिए का० गणेश सिंह को कस्वा बांसी भेज कर इलेट्रानिक बाट माप मंगाकर बरामद गांजे की तौल किया तो विजय प्रताप लोध उपरोक्त के पास से बरामद गांजा काली पन्नी में एक किलो सौ ग्राम के वजन का मिला जिसमें से पचास ग्राम गांजा बतौर नमूना अलग निकाला गया तथा शेष एक किलो पचास ग्राम गांजा उसी काले पन्नी में रेख कर कथई रंग के झोले में रखकर झोले का मुंह बांधा गया तथा पवन कुमार गुप्ता के पास से बरामद गांजा का बजन किया गया तो कुल वजन एक किलो दो सौ ग्राम हुआ जिसमें से पचास ग्राम गांजा बतौर नमूना अलग कर शेष गांजा एक किलो एक सौ पचास ग्राम उसी पन्नी में रख कर सफेद झोले में रखकर मुंह बांधा गया। अभियुक्तगण के पास से बरामद नाजायज गांजा रखने के बावत प्राधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहे और गलती की माफी मागने लगे अभियुक्तगण का यह कृत्य जुर्म धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का दण्डनीय अपराध है का बोध कराकर अभियुक्तगणो को मौके से समय लगभग शाम 5 बजे हिरासत पुलिस में तथा बरामदा माल को कब्जा

पुलिस में लेकर मौके पर बरामदा माल को अलग अलग सफेद कपड़े में रख कर सील सर्व मोहर कर नमूना मोह मय नमूना माल तैयार किया गया दौरान कार्यवाही जनता के व्यक्ति आ जा रहे थे जिनको रोक कर गवाही हेतु कहा गया तो भलाई बुराई का वास्ता देकर चले गये गिरफ्तारी व बरामदगी में मा० सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया है फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी व गिरफ्तारी मेमो मौके पर तैयार कर हमराही कर्मचारीगण व अभियुक्तगण के अलामात बनवाये जा रहे है अभियुक्तगण के गिरफ्तारी की सूचना अकब से जरिये उचित माध्यम दी जायेगी। फर्द की एक प्रति अभियुक्तगण को दी गयी।"

3. वादी मुकदमा उ०नि० शशांक कुमार सिंह के उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर में क्रमशः मु०अ०सं०–243/2021 व 244/2021, अंतर्गत धारा–8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अभियुक्त विजय कुमार लोध व पवन कुमार गुप्ता के विरुद्ध दिनांक–06.10.2021 समय 19.45 व 19.46 बजे को पंजीकृत किया गया।

4. उक्त मुकदमों की विवेचना की गयी। विवेचक ने दौरान विवेचना वादी व अन्य साक्षीगण के बयान लिये एवं घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया तथा विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण विजय कुमार लोध व पवन कुमार गुप्ता के विरुद्ध अंतर्गत धारा–8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

5. अभियुक्तगण विजय कुमार लोध व पवन कुमार गुप्ता के विरूद्ध प्रस्तुत आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट पर न्यायालय द्वारा दिनांक–20.12.2021 को अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्तगण को परीक्षण हेतु तलब किया गया।

6. अभियुक्तगण के उपस्थित आने पर दिनांक–07.01.2022 को अभियुक्त पवन कुमार गुप्ता के विरुद्ध अंतर्गत धारा–8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत तथा दिनांक–29.03.2022 को अभियुक्त विजय प्रताप लोध के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने उक्त आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Manojbhai Jethabhai Parmar(Rohit) V. The State of Gujarat 2025 INSC 1433 के मामले में पारित विधि व्यवस्था के अनुरूप अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य निम्नांकित हैं–

क्र.सं०	**प्रपत्र का विवरण**	**प्रदर्श सं०**	**सत्यापनकर्ता**
1.	फर्द	प्रदर्श क–1	पी०डब्लू०–1
2.	गिरफ्तारी प्रपत्र	प्रदर्श क–2	पी०डब्लू०–1
3.	सहमति पत्र	प्रदर्श क–3 व 3A	पी०डब्लू०–1
4.	मु०अ०सं० 243/21 की नक्शा नजरी	प्रदर्श क–4	पी०डब्लू०–3
5.	मु०अ०सं० 244/21 की नक्शा नजरी	प्रदर्श क–5	पी०डब्लू०–3
6.	आरोप पत्र क्रमशः	प्रदर्श क–6 व क–7	पी०डब्लू०–3
7.	कायमी	प्रदर्श क–8	पी०डब्लू०–4
8.	एफ०आई०आर० पर क्रमशः	प्रदर्श क–9 व 10	पी०डब्लू०–4
9.	प्राप्ति रसीद पर	प्रदर्श क–11	पी०डब्लू०–5

क्र०सं०	**वस्तु का विवरण**	**वस्तु प्रदर्श**	**सत्यापनकर्ता**
1.	विजय के पास बरामद गांजे पर	वस्तु प्रदर्श–1	पी०डब्लू०–1
2.	काली पन्नी पर	वस्तु प्रदर्श–2	पी०डब्लू०–1
3.	झोले पर	वस्तु प्रदर्श–3	पी०डब्लू०–1
4.	कपड़े पर	वस्तु प्रदर्श–4	पी०डब्लू०–1
5.	पवन के पास बरामद गांजे पर	वस्तु प्रदर्श–5	पी०डब्लू०–1
6.	पारदर्शी पन्नी पर	वस्तु प्रदर्श–6	पी०डब्लू०–1
7.	काले सफेद झोले पर	वस्तु प्रदर्श–7	पी०डब्लू०–1
8.	कपड़े पर	वस्तु प्रदर्श–8	पी०डब्लू०–1

8. अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया है।

साक्षी सं०	**साक्षी का नाम**	**साक्षी की प्रकृति**
पी०डब्लू०–1	उ०नि० शशांक कुमार सिंह	वादी मुकदमा
पी०डब्लू०–2	हे०का० गणेश कुमार सिंह	फर्द गवाह
पी०डब्लू०–3	उ०नि० चन्द्रशेखर पाण्डेय	विवेचक

पी०डब्लू०–4	उ०नि० सुभाष चन्द्र	एफ०आई०आर०लेखक
पी०डब्लू०–5	हेड का० अमरनाथ यादव	डाकेट जमाकर्ता

9. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त दिनांक–10.03.2025 को अभियुक्तगण पवन कुमार गुप्ता व विजय प्रताप लोध का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रकिया संहिता अभिलिखित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक गलत बताते हुए साक्षियों द्वारा गलत बयान दिया जाना, मुकदमा रंजिशन चलना बताया तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन किया है एवं स्वयं को निर्दोष बताया है।

10. अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के माध्यम से अभियोजन कथानक को साबित किया गया है या नहीं, इस सम्बन्ध में उनके बयानों का संक्षेप में उल्लेख किया जाना न्यायोचित होगा।

11. साक्षी पी०डब्लू०–1 शशांक कुमार सिंह उपनिरीक्षक वर्तमान तैनाती स्थल थानाध्यक्ष ढेबरुआ, जिला–सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि " मैं दिनांक 06–10–2021 को थाना बांसी में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन मैं उपनिरीक्षक मय हमराह आरक्षी गणेश सिंह, आरक्षी अखिलेश यादव देखभाल क्षेत्र व शान्ती व्यवस्था डयूटी में रोडवेज चौराहा बांसी में मौजूद था। मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई की दो व्यक्ति जो नौगढ़ से बांसी की तरफ आ रहे है जिनके पास नाजायज गांजा है सूचना पर विश्वास कर मय हमराह मय मुखबिर के राप्ती पुल बांसी के उत्तरी छोर पर पहुंचकर स्वयं पुल के पूरब की तरफ तथा हमराहीगण पश्चिम की तरफ पुल का आड़ लेकर खड़े हो गये तथा आने वाले व्यक्तियों का इन्तजार करने लगे। तभी कुछ देर बाद सड़क से उतरकर पुल की तरफ आ रहे व्यक्तियों का पहचान करा कर मुखबिर हट बढ़ गया। उक्त दोनों व्यक्ति पुल के उत्तरी छोर पर जैसे ही पहुंचे की एका–एक हमराहीगण की मदद से मौके पर ही बिना भागने का अवसर देते हुए घेर घार कर पकड लिया गया। नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम विजय प्रताप लोध पुत्र सन्तराम निवासी ग्राम भीमापार थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर व जनपद सिद्धार्थनगर बताया तथा दूसरे ने अपना नाम पवन कुमार गुप्ता पुत्र गोरखनाथ साकिन भीमापार थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर जिला सिद्धार्थनगर बताया। दोनों के द्वारा अपने हाथ मे लिये गए झोले के सन्दर्भ में पूछताछ किया गया तो दोनों द्वारा एक साथ बताया गया कि इसमे गांजा है जिसे हम लोग बाहर से खरीद कर लाकर घूम घूम कर बेचते है। इस पर उन लोगों से कहा गया कि आप लोगो की गिरफ्तारी किसी मजिस्ट्रेट

अथवा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष हो गयी तो उन लोगों ने कहा कि साहब हम लोग सही सही बता दिये है हम लोगो के पास गांजा है तो आप ही हम लोगो की जमा तलाशी ले लीजिए। हम लोग का आप पर पूरा विश्वास है। इस पर दोनों व्यक्तियों का अलग अलग सहमति पत्र तैयार कर हस्ताक्षर कराकर नियमानुसार तलाशी ली गयी तो विजय प्रताप लोध के पास से मिले झोले को खोलकर देखा गया तो कत्थाई रंग के झोले में काले पालिथीन मे बाँध कर रखा हुआ नाजायज गाजा बरामद हुआ जिसे सुधा गया तो गाँजे की महक आ रही थी जमा तलाशी के दौरान पहने हुए पैन्ट के दाहिने जेब से एक सौ बीस रूपये नगद व सैमसंग का कीपैड मोबाइल बरामद हुआ। पन्नी को उसी झोले में रख कर बाँधा गया तथा दूसरे व्यक्ति पवन कुमार के पास मिले झोले को खोल कर देखा गया तो हल्का पीले पारदर्शी पालीथीन में रखा गाँजा मिला जिसे सूघने पर गॉजे की गन्ध आ रही थी। पवन के पास मिले झोले पर अंग्रेजी मे JQR SPORT लिखा गया है तथा तलाशी से अभियुक्त के पहने हुए पैन्ट के दाहिने जेब से दो सौ रुपये नगद एक अदद रेडमी एनड्राइड फोन बरामद हुआ। बरामद शुदा गाँजे के तौल करने के लिए का० गणेश सिंह को कस्बा बांसी भेज कर इलेक्ट्रॉनिक काटा मगॉकर तौल किया गया तो विजय प्रताप लोध के पास से बरामद गाँजा काली पन्नी मे एक किग्रा ० सौ ग्राम मिला तथा पवन के पास से मिले गॉजे का वजन किया गया तो कुल वजन एक किलो दो सौ ग्राम हुआ। दोनो अभियुक्त के पास से बरामद शुदा गाँजे मे से पचास पचास ग्राम बतौर नमूना निकाला गया तथा शेष गाँजा उन्ही पालीथिन मे बन्द किया गया। दोनों अभियुक्तगण के पास से बरामद नाजायज गाँजा रखने के बावत प्राधिकार पत्र मागाँ गया तो दोनो देने से कासिर रहें। और अपनी गलती की माफी मागने लगे। अभियुक्तगण का यह कृत्य जुर्म धारा 8/20 एन 0 डी० पी० एस का दण्डनीय अपराध है का बोध कराकर अभियुक्तगणो को मौके से समय करीब शाम 05:00 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा बरामद शुदा माल को कब्जा पुलिस मे लेकर मौके पर ही अलग अलग सफेद कपडो मे रखकर सील सर्व मोहर कर नमूमा मोहर मय नमूना माल तैयार किया गया दौरान कार्यवाही मौके से आने जाने वाले जनता के व्यक्तियो को रोककर गवाही हेतु कहा गया तो भलाई बुराई का वस्ता देकर चले गए। गिरफ्तारी व बरामदगी मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों का पूर्णतः पालन किया गया फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी व गिरफ्तारी मेमो मौके पर तैयार कर हमराही कर्मचारीगण व अभियुक्तगण के अलामात बनवाए गए। गिरफ्तारी की सूचना अकब से जरिए उचित माध्यम दी गयी। फर्द की एक प्रति अभियुक्तगण को दी गयी। तदुपरान्त फर्द की मूल प्रति, हमराहीगण व माल मुल्जिम के साथ थाना कार्यालय जाकर माल व मुल्जिम को सपुर्द कराकर अभियोग मेरे द्वारा पंजीकृत कराया गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था, मेरे साथ घटना स्थल पर जाकर मेरे निशान देही पर

घटना स्थल का नक्शा नजरी बनवाया था। शामिल फर्द मेरे लेख व हस्ताक्षर मे है जिसकी में पुष्टि करता हूं जिस पर प्रदर्श क–1 डाला जावें। शामिल पत्रावली गिरफ्तारी प्रपत्र मेरे लेख व हस्ताक्षर मे है जिसकी मै पुष्टि करता हु, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला जावें। शामिल पत्रावली सहमति पत्र मेरे लेख व हस्ताक्षर मे है तथा जिस पर अभियुक्त के भी हस्ताक्षर बने हुए है जिसकी में पुष्टि करता हूं जिस पर प्रदर्श क–3 डाला जावें। अभियुक्त पवन कुमार की सहमति–पत्र जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–4 डाला जाय। माल मुकदमाती पैरोकार बांसी द्वारा सर्व शील दुरुस्त हालत में न्यायालय में लाया गया। अभियुक्त विजय कुमार लोध का मु०अ०सं०–243/2021 धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट बनाम विजय प्रताप लोध पुत्र सन्तराम निवासी भीमापार थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर वजन–1 किलोग्राम 50 ग्राम हस्ताक्षर विजय प्रताप, हस्ताक्षर मेरे, हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट अपठनीय है। माल सम्बन्धित पवन कुमार गुप्ता मु०अ०सं०–244/2021 धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट बनाम विजय प्रताप लोध पुत्र सन्तराम निवासी भीमापार थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर वजन 1 किलोग्राम 150 ग्राम हस्ताक्षर पवन कुमार, हस्ताक्षर मेरे, हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट अपठनीय है। माल उभय पक्षों की सहमति से व न्यायालय की अनुमति से खोला गया। अभियुक्त विजय प्रताप लोध के पास से सफेद कपड़े में कत्थई झोले में काली पन्नी के अन्दर कलनीदार गहरे भूरे रंग का पदार्थ बरामद हुआ जिसे साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने देखकर बताया कि यह वही गांजा है जो मैंने अभियुक्त विजय प्रताप लोध के कब्जे से घटनास्थल पर बरामद किया था। बरामद गांजे पर वस्तु प्रदर्श–1 तथा काली पन्नी पर वस्तु प्रदर्श–2, कत्थई झोले पर वस्तु प्रदर्श–3 व कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–4 डाला जाय। अभियुक्त पवन कुमार से बरामद गांजे को खोला गया तो एक सफेद कपड़े के अन्दर काला–सफेद झोला जिसके ऊपर जे०क्यू०आर० लिखा हुआ है, जिसके अन्दर पारदर्शी पन्नी के अन्दर कलनीदार गहरा भूरे रंग का गांजा बरामद हुआ, जिसे साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने देखकर बताया कि यह वही गांजा है जो मेरे द्वारा अभियुक्त पवन कुमार के कब्जे से घटनास्थल पर बरामद किया गया था। बरामद गांजे पर वस्तु प्रदर्श–5, पारदर्शी पन्नी पर वस्तु प्रदर्श–6 व काले सफेद झोले पर वस्तु प्रदर्श–7 तथा कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–8 डाला जाय।"

12. साक्षी पी०डब्लू०–2 हेड का० गणेश कुमार सिंह वर्तमान तैनाती स्थल थाना पुरानी बस्ती जिला बस्ती ने न्यायालय उपस्थित आकर अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि " मैं दिनांक–06.10.2021 को थाना बांसी में आरक्षी के पद पर

तैनात था। उस दिन मैं अपने वरिष्ठ उपनिरीक्षक शशांक सिंह के साथ बतौर हमराह व व आरक्षी अखिलेश यादव के साथ देखभाल क्षेत्र व शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में रोडवेज चौराहा बांसी में मौजूद था। इस साक्षी द्वारा पी०डब्लू०–1 के कथनो का समर्थन करते हुए आगे कथन किया है कि बरामद शुदा गांजे के तौल करने के लिए मुझको उपनिरीक्षक शशांक सिंह के द्वारा कस्बा बांसी भेज कर इलेक्ट्रॉनिक काटा मगॉकर तौल किया गया तो विजय प्रताप लोध के पास से बरामद गांजा काली पन्नी मे एक किग्रा० सौ ग्राम मिला तथा पवन के पास से मिले गांजे का वजन किया गया तो कुल वजन एक किलो दो सौ ग्राम हुआ। दोनो अभियुक्त के पास से बरामद शुदा गांजे मे से पचास–पचास ग्राम बतौर नमूना निकाला गया तथा शेष गांजा उन्ही पालीथिन मे बन्द किया गया। दोनों अभियुक्तगण के पास से बरामद नाजायज गांजा रखने के बावत प्राधिकार पत्र मांगा गया तो दोनो देने से कासिर रहें और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। अभियुक्तगण का यह कृत्य जुर्म धारा 8/20 एन0 डी० पी० एस का दण्डनीय अपराध है का बोध कराकर अभियुक्तगणो को मौके से समय करीब शाम 05:00 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा बरामद शुदा माल को कब्जा पुलिस में लेकर मौके पर ही अलग अलग सफेद कपडों में रखकर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर मय नमूना माल तैयार किया गया दौरान कार्यवाही मौके से आने जाने वाले जनता के व्यक्तियों को रोककर गवाही हेतु कहा गया तो भलाई बुराई का वास्ता देकर चले गए। गिरफ्तारी व बरामदगी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों का पूर्णतः पालन किया गया फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी व गिरफ्तारी मेमो मौके पर तैयार किया गया था तथा सम्बन्धित के अलामात बनवाए गए थे। गिरफ्तारी की सूचना अकब से जरिए उचित माध्यम दी गयी। फर्द की एक प्रति अभियुक्तगण को दी गयी। तदुपरान्त फर्द की मूल प्रति, माल मुल्जिम के साथ हम लोग थाना कार्यालय जाकर माल व मुल्जिम को सपुर्द कराकर अभियोग उपनिरीक्षक शशांक सिंह द्वारा पंजीकृत कराया गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

13. साक्षी पी०डब्लू०–3 उपनिरीक्षक चन्द्र शेखर पाण्डेय वर्तमान तैनाती स्थल थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि " दिनांक–06.10.2021 को मैं बतौर उपनिरीक्षक कोतवाली बांसी में नियुक्त था। इसी दिन थाना कार्यालय से मुझे मु०अ०सं० 243/2021 व 244/2021 धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट की विवेचना थाना कार्यालय से प्राप्त हुई। जिसमें नकल चिक, नकल एफ.आई.आर., गिरफ्तारी प्रपत्र, सहमति पत्र व अन्य दिगर कागजात प्राप्त हुए, उसी दिन मेरे द्वारा पर्चा नं. 1 किता किया गया जिसमें अवलोकन नकल एफ.आई.आर, अवलोकन रपट कायमी, अवलोकन गिरफ्तारी प्रपत्र, बयान अभियुक्त, बयान एफ. आई.आर

लेखक मेरे द्वारा लिया गया। दिनांक–07.10.2021 को मेरे द्वारा पर्चा नं. 2 किता किया गया जिसमें बयान वादी मुकदमा का लिया गया तथा वादी मुकदमा के साथ घटनास्थल पर जाकर मेरे द्वारा वादी मुकदमा के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया। मु०अ०सं० 243/2021 व 244/2021 शामिल पत्रावली नक्शा नजरी मेरे लेख व हस्ताक्षर में हैं जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिसपर क्रमशः प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–5 डाला जावे। पर्चा नं. 3 मेरे द्वारा दिनांक–10.10.2021 को किता किया गया जिसमें अभियुक्तगण के मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन तथा मुकदमा से सम्बन्धित माल का डाकेट तैयार कराकर परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला रामनगर वाराणसी भेजवाया गया। पर्चा नं. 4 मेरे द्वारा दिनांक–17.10.2021 को किता किया गया जिसमें फर्द गवाह का० गणेश सिहं व का० अखिलेश यादव का बयान दर्ज किया गया तथा घटनास्थल पर पहुंचकर पास पडोस के गुमटी में पान बेचने वाले राजकुमार व उसी दुकान के पास नाई इशहाक से पूछ ताछ किया गया तो मौके पर उपस्थित न होना बताते हुए सुनी सुनाई बात बताई कि दिनांक 06.10.2021 को समय करीब 5 बजे शाम को पुलिस दो लोगो को गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। पर्चा नं. 6 मेरे द्वारा दिनांक–31.10.2021 को किता किया गया था जिसमें मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित परीक्षण हेतु भेजे गये माल का रिसिविंग प्रति का अवलोकन तथा थाना कार्यालय से प्राप्त अभियुक्तगण के जमानत सूचना का अवलोकन किया गया तथा सभी गवाहों के बयानात घटनास्थल के निरीक्षण व अन्य सबूत शहादत के आधार पर अभियुक्त विजय कुमार लोध व अभियुक्त पवन कुमार गुप्ता के विरूद्ध धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट का अपराध बखूबी साबित पाते हुए दिनांक–31.10.2021 को मेरे द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। शामिल पत्रावली चार्जशीट अभियुक्त विजय कुमार लोध, पवन कुमार गुप्ता जो चार–चार वर्क में है जो मेरे द्वारा सी.सी.टी.एन.एस. से टंकित कराया गया है जिसमें मेरे हस्ताक्षर बने हैं जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–6 व प्रदर्श क–7 डाला जावे।"

14. साक्षी पी०डब्लू०–4 उपनिरीक्षक सुभाष चन्द्र वर्तमान तैनाती स्थल एपीटी थाना सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "मैं दिनांक–06.10.2021 को थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर में हेड मोहर्रिर के पद पर तैनात था। इसी दिन मुकदमा वादी मय माल व मुल्जिम थाना कार्यालय आए। माल मुल्जिम को सुपुर्द कर फर्द दिया जिसके आधार पर मेरे द्वारा जीडी नंबर 44 समय 19.45 बजे पर मु०अ०सं० 243/2021 व 244/2021 क्रमशः धारा–8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट विरुद्ध विजय कुमार लोधी व पवन कुमार गुप्ता की कायमी मेरे द्वारा बोल बोल कर सी.सी.टी.एन.एस से

टंकित कराया गया। शामिल पत्रावली कायमी जो मेरे द्वारा टंकित कराया गया था जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श–8 डाला जावे। पत्रावली सत्र परीक्षण सं०–1193/2021 में शामिल प्रथम सूचना रिपोर्ट जो 2 वर्क में है तथा पत्रावली सत्र परीक्षण सं०–1192/2021 में शामिल प्रथम सूचना रिपोर्ट जो 2 वर्क में है, जिस पर तत्कालीन थानाध्यक्ष महोदय के हस्ताक्षर बने हुए है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–9, प्रदर्श क–10 डाला जावे। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

15. साक्षी पी०डब्लू०–5 हेड का० अमरनाथ यादव वर्तमान तैनाती स्थल थाना बौडी जिला बहराइच ने न्यायालय उपस्थित आकर अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "दिनांक–19.10.2021 को मैं बतौर हेड का० थाना बांसी में तैनात था। उस दिन मुझे थाना कार्यालय से मुकदमा अपराध संख्या–243/2021, 244/2021 धारा–8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नमूना माल थाना कार्यालय से प्राप्त हुआ। डाकेट तैयार कराकर सर्व मोहर दुरुस्त हालत में विधि विज्ञान प्रयोगशाला वाराणसी के लिए रवाना हुआ। जिसे दिनांक–21.10.2021 को सर्व मोहर दुरुस्त हालत में लाट नं०–1999/21 पर जमा कर प्राप्ति रशीद लेकर वापस आकर अपनी वापसी दर्ज करायी। शामिल पत्रावली प्राप्ति रशीद है, जिसे मैं लाकर थाना कार्यालय में दिया था जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–11 डाला जावे। रवानगी की जीडी की प्रमाणित छायाप्रति आज लाया हूँ। जिसे मैं आज दाखिल कर रहा हूँ।"

16. मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक(एन०डी०पी०एस० एक्ट) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

17. विद्वान विशेष लोक अभियोजक(एन०डी०पी०एस० एक्ट) द्वारा तर्क दिये गये कि–

(i)– अभियुक्तगण को दिनांक–06.10.2021 को पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त पवन कुमार गुप्ता के पास से एक किलो २०० ग्राम तथा विजय लोध के पास से एक किलो सौ ग्राम मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया ।अभियुक्तगण के पास से बरामद माल (गांजा) विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भी गांजा की पुष्टि हुई है।

(ii)– अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य में घटना का समर्थन किया है। उनकी प्रतिपरीक्षाओं में आने वाले विरोधाभास सूक्ष्म प्रकृति के हैं। उनसे घटना का खण्डन नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाये।

18. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिये गये हैं कि–

(i)– अभियुक्तगण को फर्जी फंसाया गया है। उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है।

(ii)– स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा–50, 52, 57 का अनुपालन नहीं किया गया।

(iii)– अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास हैं। जिस कारण प्रकरण संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

19. इस प्रकरण के निस्तारण के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर निष्कर्ष आना आवश्यक है।

1–क्या दिनांक– 06.10.2021 को अभियुक्तगण को अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था ?

2– क्या अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी में स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों का पालन किया गया?

20. अभियोजन द्वारा अपना कथानक साबित करने के लिए प्रस्तुत किये गये साक्षियों ने जहां अपनी मुख्य परीक्षाओं में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है वहीं पी०डब्लू०–1 **शशांक कुमार सिंह** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया है कि अभियुक्तों द्वारा मना करने पर उनसे सहमति पत्र प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की गयी थी। किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं लिये गये थे। बरामदगी के बाद जामा तलाशी हेतु राजपत्रित अधिकारी को सूचना देने हेतु बताया गया तो अभियुक्तगण द्वारा मना कर दिया गया। अभियुक्तगण द्वारा लिखित सहमति दी गयी थी। यह सहमति पत्र अभियुक्तगणों के हस्तलेख में नहीं है उनके द्वारा मात्र हस्ताक्षर किया गया है। तलाशी स्वयं उसके व हमराही कर्मचारीगण द्वारा ली गयी थी। बरामदगी के पूर्व आपस में जामा तलाशी ली गयी थी। मौके पर आरक्षी गणेश को भेजकर इलेक्ट्रानिक कांटा मंगाया गया था। लगभग 30 मिनट में ही मौके से आरक्षी को भेजकर कांटा मंगाया गया था। साक्षी ने बताया कि उसके पास नारकोटिक डिटेक्शन किट नहीं थी। अभियुक्त के समक्ष जब्ती स्थल पर नमूना गवाहों के हस्ताक्षर लिये गये थे। इसका फर्द में उल्लेख है। नमूने का गांजा कितना निकाला गया था ध्यान नहीं। बरामद दोनों मालों से अलग अलग, एक–एक नमूना लिया गया था। बरामदगी स्थल आमजन मानस का रास्ता है लोग आते जाते रहते हैं। अभियुक्त नौगढ़ की तरफ बांसी से पैदल आ रहा था। उसे मुखबिर की सूचना शाम लगभग 4.30 बजे मिली थी जो सूचना मिली थी उसे उच्चाधिकारियों को अवगत नहीं कराया था। उसके घटना स्थल पहुंचने के 5–

7 मिनट बाद मुल्जिम आ गये थे। फर्द अपने ही लेख में उसने तैयार किया था। फर्द में राजपत्रित अधिकारी के समक्ष जामा तलाशी देने हेतु मुल्जिमानों का अधिकार है इसको अंकित नहीं किया गया। फर्द में स्वयं की तथा हमराहियों की आपस में जामा तलाशी का जिक्र नहीं है। फर्द दो पेज पर तैयार किया गया था। पहले पेज पर न तो उसका हस्ताक्षर है और न ही अभियुक्तगण का हस्ताक्षर है। वरवक्त घटना लोग आ जा रहे थे। फर्द पर पब्लिक के गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। हमराही गणेश कस्बा बांसी से इलेक्ट्रानिक तराजू लाया था। किसकी दुकान से लाया था नहीं मालूम। मुल्जिम को हवालात में कर माल को हेड मोहर्रिर को सुपुर्द कर दिया था। न्यायालय में मौजूद कत्थई झोले में लाल रंग की प्लास्टिक की पट्टी है जिसका उल्लेख फर्द में नहीं है। यह घटना विशेष अपराध की श्रेणी में नहीं आता है इसलिए स्पेशल रिपोर्ट नहीं भेजा था।

21. पी०डब्लू०–2 **हे०का० गणेश कुमार सिंह** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति गांजा लेकर आ रहे है। सूचना वादी मुकदमा शशांक सिंह को मिली थी। शशांक ने यह बताया था कि मुखबिर के अनुसार नौगढ़ की तरफ से गांजा लेकर कुछ लोग आ रहे हैं। यह जानकारी शशांक सिंह द्वारा जोगिया थाने पर नहीं दी गयी थी। जोगिया थाना नौगढ़ और बांसी के बीच में पड़ता है। मुखबिर की सूचना 4.30 बजे मिली थी। मौके पर पहुंचकर केवल दो ही लोगों की तलाशी ली गयी थी। जिस समय मुल्जिम को पकड़ा गया इक्का–दुक्का लोग आ जा रहे थे। फर्द के प्रथम पेज पर हस्ताक्षर नहीं है। मुल्जिम की गिरफ्तारी से पहले आपस में जामा तलाशी ली हो इसका उल्लेख फर्द में नहीं है। मुल्जिम को पकड़ने के बाद सी.ओ. व मजिस्ट्रेट को कोई सूचना उसने नहीं दी थी। गांजा तौलने के लिए इलेक्ट्रानिक तराजू लेने गया था। फल के ठेले कि दुकान से लाया था, लेकिन दुकानदार का नाम आज याद नहीं है। विवेचक को उसने यह नहीं बताया था कि फल की दुकान से तराजू लेकर आया है। तराजू बाट मांप विभाग द्वारा प्रमाणित था या नहीं पता नही। गांजा और भांग में क्या अंतर है वह नहीं जानता है। मुल्जिम के पास किस रंग का झोला था उसे याद नहीं है। झोले की तलाशी लेने के बाद मौके पर फर्द लिखा गया। फर्द लिखते समय वह तराजू लेने चला गया था। आने जाने में 10 मिनट से अधिक का समय लगा था। मुल्जिम व फर्द व माल थाने लाया था। आगे की कार्यवाही कार्यालय द्वारा की गयी थी। मौके पर मुल्जिमों के हस्ताक्षर के अतिरिक्त अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

22. पी०डब्लू०–3 **उपनिरीक्षक चन्द्र शेखर पाण्डेय** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि उसने अभियुक्त का 164 का बयान कराया था जिसका उसने अवलोकन नहीं किया। अभियुक्त ने जुर्म स्वीकार किया था। सहमति पत्र पर जनता के किसी गवाह का

अथवा हमराही सिपाही का हस्ताक्षर नहीं है। वादी से उसने स्वतंत्र साक्षी अथवा हमराही सिपाही का हस्ताक्षर न होने का कारण नहीं पूछा था। मुल्जिम का मेडिकल 06.10.2021 को क्यों नहीं कराया गया इसका कोई कारण वह नहीं बता सकता। फर्द के पहले पन्ने पर न तो वादी के हस्ताक्षर है न अभियुक्त के और न ही सिपाहियों के हस्ताक्षर हैं ये हस्ताक्षर क्यों नहीं हैं इसका कारण वह नहीं बता सकता। वादी ने इलेक्ट्रानिक बांट मांप किसकी दुकान से मंगाया था वह नहीं बताया था। इसलिए उसने दुकानदार का बयान नहीं लिया। नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 में स्थान A से C व स्थान B किसी की दूरी उसने उल्लिखित नहीं की। अगर दूरी वादी ने बताया होता तो वह उल्लेख करता। राजकुमार और मुनीर जो स्थानीय दुकानदार थे उन्होंने अपने सामने किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी या बरामदगी होने का बयान नहीं दिया। आरोप पत्र लगाने तक प्रयोगशाला रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी।

23. पी०डब्लू०–4 **उपनिरीक्षक सुभाष चन्द्र** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि वादी मुकदमा शशांक सिंह उसे साथ थाना बांसी में दिनांक–06.10.2021 को कार्यरत थे। इसी दिन उसकी ड्यूटी सुबह से थे समय याद नहीं है। पौने सात बजे शाम को वादी मुकदमा शशांक सिंह फर्द लेकर उसके पास आये थे। शशांक सिंह अभियुक्त विजय प्रताप लोधी व पवन कुमार गुप्ता को अपने साथ लेकर आये थे। उसने मुल्जिम को मर्दाना हवालात में दाखिल किया था। हवालात में दाखिल करने से पहले उसने तलाशी थाने पर नहीं लिया था। मुकदमा लिखने के कितने दिन बाद वह अपना बयान दिया था लेकिन कब दिया था याद नहीं है।

24. पी०डब्लू०–5 **हेड का० अमरनाथ यादव** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि उसकी रवानगी दिनांक–19.10.2021 को थाने से हुई थी। उसके थाने से विधि विज्ञान प्रयोगशाला जाने की रवानगी की जी.डी. पत्रावली पर नहीं है। वह थाना बांसी से 19.10.2021 को 12.20 मिनट पर रवाना हुआ था। वह थाने से माल लेकर बस द्वारा वाराणसी करीब गया था बीच में कहीं नहीं रुका था। उसे दरोगा जी ने डाकेट बनवा कर दिया था। वह एफ.एस.एल. में माल दिनांक–21.10.2021 को सुबह दस बजे दाखिल किया था और वहां से वापस थाने पर एक दिन बाद आया था। किस तारीख को वापस आया था ठीक से याद नहीं है।

25. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं।

26. धारा–50 एन.डी.पी.एस.एक्ट का अनुपालन दर्शित करने के लिए पुलिस टीम द्वारा राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट को मौके पर न बुलाने का कारण यह दर्शित किया गया है कि अभियुक्त ने स्वयं को ही इस बात को मना कर दिया था कि किसी को

बुलाने की जरूरत नहीं है। पुलिस टीम ही उनकी तलाशी ले ले, क्योंकि उन दोनों के पास गांजा है। इसके अनुक्रम में अभियुक्तगणों की तलाशी के संबंध प्रस्तुत किया गया प्रदर्श क–3 व 3A सहमति पत्र विधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। वास्तव में वादी मुकदमा शशांक सिंह ने इस सहमति पत्र में अभियुक्तों को उसके अधिकारों के संबंध में अवगत कराने के बजाय स्वयं के ऊपर विश्वास होने का वर्णन किया है। सहमति पत्र किसके हस्तलेख में तैयार किया गया इसका कोई उल्लेख सहमति पत्र पर नहीं है। इस पर केवल अभियुक्त और एस.आई. के हस्ताक्षर हैं जो संभवतः वादी मुकदमा है। धारा–50 एन.डी.पी.एस. एक्ट एक आज्ञापक प्रावधान है। अभियुक्तगणों को अचानक सर्च में नहीं पकड़ा गया था, उनके संबंध में कथित रूप से मुखबिर द्वारा पहले ही मादक पदार्थ होने की सूचना दी गयी थी। इस कारण वादी मुकदमा शशांक सिंह के पास पूर्ण समय मौजूद था कि वह धारा–50 एन.डी.पी.एस.एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों का पालन करते हुए मौके पर राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट को बुलाये और उसके समक्ष तलाशी की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, परन्तु ऐसा न कर धारा 50 एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।

27. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्षियों के रूप में पुलिस कर्मचारियों को प्रस्तुत किया गया है। बचाव पक्ष के अनुसार सभी अभियोजन साक्षी पुलिस साक्षी हैं। इस कारण उनके साक्ष्य पर विश्वास करना न्यायोचित नहीं होगा। विद्वान विशेष लोक अभियोजक एन०डी०पी०एक्ट द्वारा तर्क दिया गया कि पुलिस साक्षी के साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का कोई कारण नहीं है। उनकी साक्ष्य को केवल इस आधार पर नकारा नहीं जा सकता कि वे पुलिस साक्षी हैं। इस संबंध में यह स्पष्ट है कि पुलिस साक्षी सक्षम साक्षी होते हैं। उनके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किये गये कार्यों को हितबद्ध कार्य नहीं माना जा सकता, परन्तु पुलिस साक्षियों के साक्ष्य संबंध मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न लिखित विधि व्यवस्थाएं पारित की गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Mina Pun vs State of U.P. [2023(4) JIC 687 (SC)]** के मामले में यह अवधारित किया गया कि जहां बरामदगी सार्वजनिक स्थान पर की गयी हो और कोई स्वतंत्र साक्षी पेश नहीं किया गया हो, वहां दोषसिद्धि पोषणीय नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Krishan Chand vs State of H.P. [2019(1) JIC 36 (SC)]** में यह निर्धारित किया है कि जहां अभियोजन साक्षियों के बयानों में जो कि पुलिस कर्मचारी हैं, गम्भीर विरोधाभास हैं, वहां पर अभियुक्त के पास से रिकवरी, स्वतंत्र साक्षियों की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए साबित नहीं मानी जा सकती।

28. इस प्रकरण में यह पाया गया कि वादी मुकदमा ने इस बात का कोई समुचित कारण फर्द में दर्शित नहीं किया कि जब मौके पर जनता के लोग आ जा रहे थे और आस पास दुकानें भी थी तो स्वतंत्र साक्षियों को शामिल क्यों नहीं किया जा सकता था। फर्द में पुलिस पार्टी द्वारा आपस में जामा तलाशी लेने की बात का उल्लेख भी नहीं है, परन्तु साक्षियों ने अपने बयानों में आपसी जामा तलाशी की बात कही है जो संदिग्ध हो जाती है। वादी मुकदमा ने अपने द्वारा लिखित फर्द के विपरीत यह बताया है कि बरामदगी के बाद जामा तलाशी हेतु राजपत्रित अधिकारी को सूचना देने की बात अभियुक्तगणों को बताई गयी थी। इसी प्रकार यह साक्षी इस बात को भी स्पष्ट नहीं कर पाया है कि जो फर्द कथित रूप से मौके पर इसके द्वारा तैयार की गयी थी उसके पहले पेज पर किसी व्यक्ति का हस्ताक्षर क्यों नहीं है। विवेचक ने भी इस संबंध में कोई जांच नहीं की है। हेड का० गणेश कुमार सिंह पी०डब्लू०-2 के रूप में प्रस्तुत होने वाला हमराही यह बताने में असफल है कि वह फर्द लिखने के दौरान तौल के लिये बाट-काटा लेने किसकी दुकान पर गया था। उसने न तो 161 दं०प्र०सं० के बयानों में उस दुकानदार का नाम बताया और न ही विवेचक ने उस दुकानदार जिसके यहां से कांटा बाट माप लाया गया था उसका बयान अंकित किया। वादी मुकदमा के विपरीत पी०डब्लू०-2 ने इस बात की पुष्टि की है कि उन लोगों ने आपस में जामा तलाशी नहीं ली थी और न ही मुल्जिम को पकड़ने के बाद सी.ओ. या मजिस्ट्रेट को कोई सूचना दी थी।

29. विवेचना के क्रम में विवेचक ने आश्चर्यजनक कथनों का वर्णन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली पर नहीं होती है। इसने न तो विवेचना करते समय विवेचना के नियमों पर ध्यान दिया और न ही साक्ष्य अंकित कराते समय जिम्मेदारी का प्रदर्शन किया। अभियुक्त का न्यायालय में 164 सी.आर.पी.सी. के बयान कराने का इसने उल्लेख किया है। जिसमे इसके अनुसार अभियुक्त ने जुर्म स्वीकार किया था, परन्तु इसने उस 164 सी.आर.पी.सी. के बयान का अवलोकन नहीं किया। धारा-164 सी.आर.पी.सी. का अभियुक्त का जुर्म स्वीकारोक्ति का कोई बयान पत्रावली पर नहीं पाया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि विवेचक चन्द्रशेखर पाण्डेय न्यायलय में गलत बयानी कर रहा है। इसने वादी अथवा किसी साक्षी से जिन प्रश्न के संबंध में पूछा जाना चाहिए था वह नहीं पूछा और बिना प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त हुए आरोप पत्र केवल पुलिस पार्टी के बयानों के आधार पर ही प्रेषित कर दिया। इसने नक्शा नजरी के संबंध में सही स्थिति का वर्णन नहीं किया है। जिस कारण अभियोजन कथानक संदिग्ध हुआ।

30. प्रस्तुत प्रकरण में धारा–57 एन०डी०पी०एस० एक्ट का अनुपालन न करने का तर्क बचाव पक्ष द्वारा दिया गया है। विद्वान विशेष लोक अभियोजन के अनुसार पुलिस पार्टी ने आवश्यक सूचना उच्चाधिकारियों को दी थी। धारा–57 एन०डी०पी०एस० एक्ट में निम्नलिखित व्यवस्था वर्णित है।

"गिरफ्तारी और अभिग्रहण की रिपोर्ट– *जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई गिरफ्तारी या अभिग्रहम करता है, तब वह ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण के ठीक पश्चात 48 घंटों के भीतर, ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण की सभी विशिष्टियों की पूरी रिपोर्ट अपने अव्यवहित पदीय वरिष्ठ अधिकारी को देगा। "*

31. वादी मुकदमा शशांक सिंह ने धारा–57 एन.डी.पी.एस.एक्ट का पालन नहीं किया औऱ इसके लिए उसने बताया कि ये घटना विशेष श्रेणी के अपराध में नहीं आता है इसलिए स्पेशल रिपोर्ट नहीं भेजा। इसी अनुकर्म में विवेचक ने भी 57 एन.डी.पी.एस.एक्ट के संबंध में कोई विवेचना नहीं की। पी०डब्लू०–2 ने यह बताया कि मुल्जिम को पकड़ने के बाद सी.ओ. और मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं दी गयी थी। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में धारा– 57 एन.डी.पी.एस.एक्ट का पालन नहीं किया गया है जो निश्चित रूप से अभियोजन के लिए घातक है।

32. एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा–57 के अनुपालन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **Criminal Appeal No.213/2019 Smt Shraswati vs State of U.P. on 28 August, 2023 Allahabad High Court.** में यह निर्धारित किया गया है कि यद्यपि धारा–57 एन०डी०पी०एस० एक्ट का अनुपालन अनिवार्य आज्ञापक नहीं है, परंतु इसका अनुपालन न करना निश्चित रूप से अभियोजन पर विपरीत प्रभाव डालता है जो अभियोजन के लिए घातक होता है।

33. इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि वादी मुकदमा शशांक सिंह और उसकी टीम ने जिस प्रकार धारा–50 एन.डी.पी.एस.एक्ट तथा अन्य प्रावधानों का पालन नहीं किया, उसी प्रकार विवेचक ने भी विवेचनात्मक प्रावधानों का पालन नहीं किया। पुलिस टीम और विवेचक ने न्यायालय में भी लापरवाही और असावधानी से अपने साक्ष्य प्रस्तुत की। जिस कारण अभियोजन अपना मामला संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण पवन कुमार गुप्ता व विजय प्रताप लोध अन्तर्गत धारा–8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट के आरोप से दोषमुक्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

34. अभियुक्त पवन कुमार गुप्ता को मु०अ०सं०–**244/2021 व** अभियुक्त विजय प्रताप लोध को मु०अ०सं०–**243/2021,** थाना बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के प्रकरण में अंतर्गत धारा–**8/20** एन.डी.पी.एस.एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

35. अभियुक्तगण जमानत पर है। अतः उसके व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

36. अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि धारा–437ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में मु० 20,000/–रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू अंदर 7 दिन दाखिल करना सुनिश्चित करे।

37. बरामद माल अपील की अवधि तक सुरक्षित रखा जावे। बरामदशुदा माल अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्यथा निमानुसार नष्ट किया जाये।

38. निर्णय की एक प्रति धारा–406 बी०एन०एस०एस० के तहत जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर को प्रेषित की जाये।

दिनांक–09.07.2026

(मोहम्मद रफी)
विशेष न्यायाधीश एन०डी०पी०एस०एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1, सिद्धार्थनगर
J.O. CODE – UP 6336

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–09.07.2026

(मोहम्मद रफी)
विशेष न्यायाधीश एन०डी०पी०एस०एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1, सिद्धार्थनगर

J.O. CODE – UP 6336